न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कवंर
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 34 / 2018

परमेश्वलाल

बनाम

बिहारी आदि

प्रार्थना पत्र : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड
व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट प्रार्थी –श्री तरूण मिन्तर

ऐडवोकेट अप्रार्थी ——————

आदेश

दिनांक 20.06.2022

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अं. आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. का इस कदर प्रस्तुत किया कि प्रार्थी / वादी द्वारा एक वाद बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था, जिमसें आगामी पेशी दनिांक 04.06.2021 का नियत थी।

वादी इसी दरमियां विश्वभर में फैली कोरोना महामारी के कारण एवं उससे बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा लोक डाउन लगा दिया गया, जिस कारण दिनांक 04.06.2021 को नियत पत्रावलियों में आगे दिनांक दे दी गई। माननीय राजस्थान उच्च एवं राजस्व मण्डल अजमेर व साथ ीि राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों एवं प्रोटोकॉल की पालना में प्रार्थी / वादी एवं उसके अधिवक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाये। इसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 26.07.2021 पड़ी जिस पर माननीय राजस्व मण्डल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकॉल एवं कोरोना गाइड लाईन की पालना में प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाये, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2021 को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया।

वादी एवं उसके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में नियत पेशी को माननी राजस्थान उच्च न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाईड लाईन की पालना एवं स्वयं व आमजन के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाये। वादी / प्रार्थी की माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति जानबुझकर न की जाकर मजबूरीवंश हुई जो क्षमा योग्य है।

वादी प्रारम्भ से ही अपने दाव में गम्भीरता से अपनी पैरवी कर रहा था परन्तु कॉविड 19 का संक्रमण फैलने से सम्पूर्ण देश मे तालाबंदी एवं कर्फ्यू की स्थिति हो गई थी, जिसके कारण न्यायालायों में नियमित कार्य बंद था ओर तारीख पेशियां सामुहिक दी जा रही थी, इसलिये प्रार्थी को तारीख पेशी की जानकारी नही हो सकी। दिनांक 19.04.2021 को मौजुदा दावे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर की जानकारी नही हो सकी। दिनांक 19.04.2021 को [illegible] दिनांक 04.06.2021 को न्यायालय का नियमित तारिख पेशी दिनांक 04.06.2021 नियत [illegible] की गई, जिसके बाबत वादी को कार्य बन्द होने से सामुहिक रूप से तारिख पेशी 26.07 [illegible] नही आ सकरा तथा उक्त कोई जानकारी नही थी। इसलिए प्रार्थी 26.07.2021 [illegible] उपस्थित नही हो सके, जिसके दिनांक को प्रार्थी के अधिवक्ता की तबियत खराब होने से [illegible] दिया। दिनांक 26.07.2021 को प्रार्थी की कारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दावा खारिज कर [illegible] जानकारी [illegible] अभाव में मजबूरीवश हुई है, गैर हाजरी जानबूझकर न होकर तारीख पेशी की जानकारी [illegible] जो कि तबियत खराब होने के अपनी पैरवी करने के लिये अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था जो कि अधिवक्ता की गलती हाजिर अदालत नही हो सके, जिसके कारण दावा खारिज कर दिया गया, जो कि अधिवक्ता की गलती के कारण हुआ है। काननून अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार पर नही डाला जा सकता है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:27:19 IST
Reason: SelfAttested

लिए उपरोक्त उनवानी दावे को वापिस नम्बर लिया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिया जावे, जिससे प्रार्थी के साथ न्याय हो सके।

बहस वकील आवेदक सुनी गई। वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का दावा दिनांक 26.07.2021 को अदम हाजरी व पैरवी में खारिज हो चुका जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। 2021 में भी कोरोना महामारी का प्रकोप रहा इसिलए प्रार्थी न्यायालय में नही आ सका। प्रार्थी अपने दावे की पैरवी करना चाहता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी को बिना सुने उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया जाना उचित नही है तथा उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा का दिनांक 26.07.2021 को पारित आदेश अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दावे को खारिज किया गया, को अपास्त किया जाता है तथा मूल दावे को पुनः नम्बर पर लिया जाकर रिस्टोर करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र बाद फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ हमफिता किया जावे। निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:27:19 IST
Reason: SelfAttested